न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र ओझा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **01/08 (वाद)**

1. श्री सोहनलाल पिता गणेशलाल खटीक निवासी घासा तह. मावली।

.....वादी

बनाम

1. श्री टीला पिता कुशाल डांगी निवासी घासा तह. मावली।
2. श्री पुना पिता कुशाल डांगी निवासी घासा तह. मावली।
3. श्रीमती वगती पुत्री कुशाल डांगी निवासी घासा तह. मावली।
4. श्रीमती फतु पुत्री कुशाल डांगी निवासी घासा तह. मावली।
5. श्रीमती बाबु पुत्री कुशाल डांगी निवासी घासा तह. मावली।
6. श्री खेमा पिता माना डांगी निवासी घासा तह. मावली।
7. श्रीमती प्रताबी पिता माना डांगी निवासी घासा तह. मावली।
8. श्रीमती नानी पिता माना डांगी निवासी घासा तह. मावली।
9. श्रीमती धापु पिता माना डांगी निवासी घासा तह. मावली।
10. भुरी पत्नी स्व. वगता डांगी निवासी घासा तह. मावली।
11. श्री बाबुलाल पिता स्व. वगता डांगी निवासी घासा तह. मावली।
12. श्री भुरा पिता स्व. दौला डांगी निवासी घासा तह. मावली।
13. श्री गणेश पिता रूपा डांगी निवासी घासा तह. मावली।
14. श्री हामा पिता रूपा डांगी निवासी घासा तह. मावली।
15. श्री गोविन्दा पिता रूपा डांगी निवासी घासा तह. मावली।
16. श्री रामदास पिता नन्दरामदास वैरागी निवासी घासा तह. मावली।
17. श्री बंशीदास पिता स्वं. नन्दरामदास वैरागी निवासी घासा तह. मावली।
18. श्री मांगीदास पिता स्वं. नन्दरामदास वैरागी निवासी घासा तह. मावली।
19. श्री तुलसीदास पिता स्व. हिरादास वैरागी निवासी घासा तह. मावली।
20. श्री श्यामदास पिता स्वं. भवंरदास वैरागी निवासी घासा तह. मावली।
21. श्री मांगीदास पिता स्वं. भंवरदास वैरागी निवासी घासा तह. मावली।
22. श्री एकलिंगदास पिता प्रेमदास वैरागी निवासी घासा तह. मावली।
23. श्री वेणीराम पिता प्रेमदास वैरागी निवासी घासा तह. मावली।
24. श्री उदयराम पिता स्वं. दौलतरामदास वैरागी निवासी घासा तह. मावली।
25. श्री जानीदास पिता स्व. दौलतरामदास वैरागी निवासी घासा तह. मावली।
26. श्री मांगीदास पिता स्व. नारायणदास वैरागी निवासी घासा तह. मावली।
27. श्री प्रेमदास पिता स्व. नारायणदास वैरागी निवासी घासा तह. मावली।
28. श्री बालुदास पिता रूगनाथदास वैरागी निवासी घासा तह. मावली।
29. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तहसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री देवराम डांगी, अधिवक्ता वादी।

2. श्री मदनलाल त्रिपाठी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

दिनांक 06.10.2017

1. वाद वादी अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है– मौजा घासा पटवार हल्का घासा में स्थित आराजीयात आराजी नम्बर 4497 रकबा 7 बिस्वा आ.चा.। उक्त आराजी चाह न. 4497 सात बिस्वा आ.चा. वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण सं 1 से 9 व लच्छुबाई बेवा माना एवं मुश. भुरी के स्वसुर व बाबुलाल के दादा स्व. पुरा एवं स्व. मगना, प्रतिवादी सं. 12 के स्वं. पिता दौला एवं स्व. कालु व प्रतिवादी सं. 13, 14, 15 एवं प्रतिवादी सं. 16 से 21 तक के स्व. पिता एवं प्रतिवादी सं. 22, 23 एवं प्रतिवादी सं. 24 से 28 तक के पिता के नाम पर संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज है उक्त आ.चा. में मुझ वादी का 3/20 हिस्सा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज होकर मै वादी उक्त हिस्से का मालिक हूं तथा मेरे कब्जे अधिकार आधिपत्य में हैं।
2. वाद में वर्णित खसरा नम्बर 4497 आ.चा. राजस्व रेकार्ड में मुझ वादी व प्रतिवादी एवं उनके पूर्वजों के नाम संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज है तथा उक्त आ.चा. का उपयोग उपभोग वादी व प्रतिवादीगण अपने हिस्से अनुसार करते हुए आ रहे हैं।
3. वाद में वर्णित आ.चा. नम्बर 4497 क्षैत्रफल 7 बिस्वा में मुझ वादी का 3/20 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा इसके अलावा मुझ वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 13, 14 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.12.2007 को उक्त आ.चा. का संयुक्त स्वामित्व का 3/40 हिस्सा क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया इस पकार मै वादी अपने नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित 3/20 हिस्सा मय जमीन के अलावा उक्त क्रय किये गये हिस्से (मय जमीन) का उपयोग उपभोग करता हुआ आ रहा हूं तथा मेरे कब्जे अधिकार आधिपत्य में होकर मै वादी उक्त हिस्सा जमीन का मालिक हो स्वामी तथा मुझ वादी द्वारा अपनी उक्त हिस्सा जमीन में मकान निर्मित कराया हुआ है तथा तै वादी अपनी उक्त हिस्सा जमीन में निर्मित मकान का उपयोग उपभोग करता हुआ आ रहा हूं तथा उक्त मकान में मुझ वादी का कृषि का सामान पडा हुआ है व मवेशी बंधते है उक्त हिस्सा एवं उक्त हिस्से में निर्मित मकान मुझ वादी के कब्जे अधिकार आधिपत्य में चला आ रहा है तथा इसके अलावा आ.चा. के उपयोग उपभोग हेतु आने जाने का रास्ता बना हुआ हैं तथा इसके अलावा आ.चा. के उपयोग उपभोग हेतु आने जाने का रास्ता बना हुआ है जिसका मै वादी उपयोग उपभोग करता हुआ आ रहा हूं।
4. वाद पत्र में वर्णित अनुसार मै वादी अपने उक्त हिस्से का उपयोग उपभोग करता हुआ आ रहा हूं तथा उक्त हिस्से में मुझ वादी द्वारा मकान निर्मित कराया हुआ है तथा मुझ वादी के मवेशी वगैरा बंधते है तथा मुझ वादी के कब्जे अधिकार आधिपत्य में है किन्तु राजस्व रेकार्ड में संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज होने से मुझ वादी को अपने उक्त हिस्से (मय जमीन) का सही ढंग से उपयोग उपभोग करने, लगान जमा करान में, ऋण वगैरा लेने में कठिनाई हो रही है इसलिए मै वादी उक्त हिस्से का कब्जे अनुसार विधिवत् बंटवाडा कराने का अधिकारी हूं।
5. प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 तक वाद में वर्णित आ.चा. नम्बर 4497 क्षैत्रफल 7 बिस्वा को मौके पर जबरन पत्थर व मिट्टी डालकर नष्ट कर रहे है तथा उक्त आ.चा. को नष्ट

कर समतल बनाने पर उतारू है एवं उक्त आ.चा. पर जाने आने के रास्ते को नष्ट कर रहे है तथा मुझ वादी को उक्त आ.चा. के उपयोग उपभोग से हमेशा के लिए वंचित कर देना चाहते है जबकि प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 तक को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नही है। जबकि उक्त आ. चा. मुझ वादी व प्रतिवादीगण व उनके पूर्वजों के नाम राजस्व रेकार्ड में संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज है किन्तु प्रतिवादीगण कानून को हाथ में लेकर उक्त आ.चा. को जबरन नष्ट करने पर तुले हुए है जबकि उनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है इसलिए वादी प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 तक के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हैं।

6. वादी का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा संतुलन एवं अशोधनीय क्षति के बिन्दु भी वादी के पक्ष में है क्योंकि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात आ.चा. 4497 क्षैत्रफल 7 बिस्वा में वादी का 3/20 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा उक्त हिस्से एवं प्रतिवादी सं. 13, 14 से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किये गये 3/40 हिस्से का वादी का उपयोग उपभोग करता हुआ आ रहा है प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 उक्त आ.चा. को जबरन पत्थर व मिट्टी डालकर नष्ट करने पर उतारू है व वादी को उक्त आ.चा पर जाने आने के रास्ते के उपयोग उपभोग में रूकावट पैदा कर रहे है यदि प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 जबरन ताकत के बल पर कानून को हाथ में लेकर उक्त आ. चा. को पत्थर व मिट्टी डालकर नष्ट कर देगें व वादी को उक्त आ.चा. पर जाने आने के रास्तें के उपयोग उपभोग से हमेशा के लिए वंचित हो जावेगा जिससे वादी को भारी आर्थिक नुकसान होगा जिसका मूल्यांकन मुद्रा में किया जाना असभंव होगा जबकि स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई नुकसान होने वाला नहीं हैं।

7. वाद कारण दिनांक 17.12.2007 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 तक द्वारा उक्त आ.चा. को जबरन पत्थर व मिट्टी डालकर नष्ट करने पर उतारू हुए व मना करने पर लडाई झगडा करने पर उतारू हुए व मुझ वादी को उक्त आ.चा. के उपयोग उपभोग से वंचित करने की धमकी दी तब उत्पन्न हुआ व उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

8. अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान कराई जावे कि वाद में वर्णित आ.चा. कुआ आराजी नम्बर 4497 क्षैत्रफल 7 बिस्वा जो राजस्व रेकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण व उनके पूर्वजो के नाम संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज है उक्त आ.चा. को प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 तक जबरन ताकत के बल पर पत्थर व मिट्टी डालकर नष्ट नहीं करें तथा न ही उक्त आ.चा. पर जाने आने हेतु रास्ता है को नष्ट करे तथा उक्त आ.चा. में वादी को अपने 3/20 एवं क्रयसुदा 3/40 हिस्सा मय जमीन का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे उसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वंय या अन्य किसी से ही करावे इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 तक के विरूद्व जारी फरमाई जावें। वाद में वर्णित आ.चा. 4497 क्षैत्रफल 7 बिस्वा का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य हिस्से व कब्जे अनुसार विधिवत् बंटवाडा कराया जावें। व लगान का अलग बरफाल कराया जावे।

9. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत कर वादीगण के वाद को अस्वीकार कर निवदेन किया कि उक्त आराजियात पर स्थित आराजीचाह का वर्णित हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण का होना स्वीकार है उक्त आराजी चाह पर पूर्व मे रहट से

पिलाई का कार्य किया जाता था परन्तु वादी का यह कथन अस्वीकार है कि वादग्रस्त आराजी चाह अकेले वादी के कब्जे व अधिकार आधिपत्य में है। आराजी चाह न. 4497 रकबा 7 बिस्वा कुआ सभी के संयुक्त आधिपत्य में है। वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 13,14 के उक्त आराजी चाह क्रय की जानकारी प्रतिवादीगण को नही है तथा प्रतिवादीगण का यह भी कथन है कि वादग्रस्त आराजी चाह की सात विस्वा भूमि जिसमें कुआ फेरा व अन्य कार्य के लिये जमीन पडत है उस पर वादी प्रतिवादीगण किसी को भी निर्माण कार्य कराने का अधिकार नहीं है और न ही वक्त दावा वादग्रस्त भूमि पर वादी का निर्माण कार्य भी किया हुआ नहीं था। कुआ सभी के सामुहिक उपयोग उपभोग का है आराजी चाह की भूमि का बंटवाडा किया ही नहीं जा सकता है केवल पानी का ओसरा ही तय हो सका है। प्रतिवादी किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कर रहे है बल्कि इस वाद की आड में वादी निर्माण कार्य कर रहा है। वादग्रस्त भूमि के उत्तर दिशा में पूर्व पश्चिम की ओर आने जाने का रास्ता है इस रासते से वैरागी साधु के वर्षो पुराने शमशान बने हुए है वहां जाने के लिये प्रतिवादी तथाकथित रास्ते का उपयोग करते है ताकि अर्थी को सुविधा पूर्वक ले जाया जा सके तथा इसी कुए पर देवस्थान की कृषि भूमि पश्चिम दिशा में स्थित है जिसके लिये भी इसी रास्ते का उपयोग आने जाने के लिये व पिलाई के लिये कई वर्षो से किया जाता आ रहा है। वास्तविकता यह है कि वादी स्वंय आराजी चाह को नष्ट करने पर आमादा है जिसे करने का उसे कोई अधिकार नहीं है बल्कि वर्षो पुराने रास्ते जो उपयोग उपभोग में आ रहा है उसे रासते में वादी का किसी प्रकार कोई हक अधिकार ही पैदा नहीं होता है और न वादी का आधिपत्य ही है और न वादी की ओर कृषि भूमि स्थित है न वादी के इस रास्ते में आने जाने का काम पडता है। कुंए का बंटवाडा मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर नहीं किया जा सकता हैं जिससे वादी का प्रथम दृष्टया मामला भी नहीं बनता है और न ही सुविधा संतुलन वादी के पक्ष मे है। वादी द्वारा तथाकथित किये गये निर्माण से प्रतिवादीगण को ऐसी क्षति हो रही है जिसका मूल्यांकन किया जाना असंभव है। विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी अनुसूचित जाति से होकर व प्रतिवादीगण स्वर्ण जाति के होकर गरीब व अशिक्षिति काश्तकार है वादी यह धमकी देता रहता है कि तुमने मेरा विरोध किया तो मैं तुम्हे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के झूठे मुकदमें में फसा दूंगा जिससे प्रतिवादीगण काफी भयभीत है। वादी इस मुकदमें की आड में दावा करने के बाद खडका पत्थर का कोट बनाया व उसकी मन्शा मकान बनाने की है। जिसे रूकवाया जाना आवश्यक हैं एवं इस निषेधाज्ञा की आड में कुंए पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य वादी द्वारा किया है उसे भी आदेशात्मक निषेधाज्ञा द्वारा हटाया जाने का निवेदन किया।

10. प्रकरण में वादी के निर्णयन हेतु निम्न तनकियाता कायम की गई :–

    1. आया मौजा घासा की आराजी चाह नम्बर 4497 रकबा 7 बिस्वा में वादी का 3/20 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 13, 14 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.12.07 से 3/40 हिस्सा क्रय किया जिसका वादी उपयोग – उपभोग करता आ रहा है। .....ब जिम्मे वादी

2. आया उक्त भूमि में वादी का मकान निर्मित कराया हुआ है जिसका वह उपयोग–उपभोग करता हुआ आ रहा है इसके अलावा आराजी चाह के उपयोग–उपभोग करने हेतु आने जाने का रास्ता बना हुआ है जिसका वह उपयोग–उपभोग कर रहा है। .....बजिम्मे वादी
3. आया वादी उक्त हिस्से का कब्जे अनुसार विधिवत बंटवाडा कराने का अधिकारी है। .....बजिम्में वादी
4. आया प्रतिवादीगण मौके पर जबरन पत्थर व मिट्टी डालकर नष्ट कर रहे है। तथा आराजी चाह को नष्ट कर समतल बनाने पर उतारू है जिससे वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है।

.....बजिम्मे वादी

5. आया वादग्रस्त भूमि के उत्तर दिशा में पूर्व पश्चिम की ओर आने जाने का रास्ता है इस रास्ते से वैरागी साधुओं के वर्षो पुराने श्मशान बने हुए है वहां जाने के लिये प्रतिवादीगण इसी रास्ते का उपयोग उपभोग करते हुऐ आ रहे है साथ ही इसी कुए से देवस्थान की कृषि भूमि पश्चिम दिशा में स्थित है जिसके लिये भी इसी रास्ते का उपयोग–उपभोग किया जाता रहा है।

..... बजिम्मे प्रतिवादीगण

6. आया कुऐ का बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के सिद्धान्त के आधार पर नहीं किया जा सकता । दावा खारीज किये जाने योग्य है।

..... प्रतिवादीगण

7. अनुतोष।

11. वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज नक्शा ट्रेस प्रदर्श 1, जमाबन्दी नकल प्रदर्श 2, एवें क्रय सुदा जमीन की जमाबन्दी नकल प्रदर्श 3 पेश किया।
12. वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री सोहनलाल, पीडब्ल्यू 2 श्री अम्बालाल पेश किये जिससे जिरह पूर्ण की गई। प्रतिवादी द्वारा अपने समर्थन में साक्ष्य प्रतिवादी डीडब्ल्यू 1 श्री टीला, डीडब्ल्यू 2 श्री भूरा पेश किया जिनसे जिरह पूर्ण कराई गई।
13. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद मे अंकित तथ्यों को दोहराया एवं वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं कुंए का बंटवाडा नहीं हो सकने का कथन कर वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया।
14. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। न्याय निर्णयन हेतु तनकीवार विवेचन इस प्रकार है :–
    1. आया मौजा घासा की आराजी चाह नम्बर 4497 रकबा 7 बिस्वा में वादी का 3/20 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 13, 14 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय

पत्र दिनांक 20.12.07 से 3/40 हिस्सा क्रय किया जिसका वादी उपयोग–उपभोग करता आ रहा है।

उक्त तनकियात को साबित करने का भार वादीगण पर रहा हैं वादी द्वारा अपने समर्थन में गवाह साक्ष्य प्रस्तुत किया एवं प्रस्ततुत दस्तावेजात प्रदर्श 2 के आधार पर वादी सोहनलाल भूमि में 3/20 हिस्से का रजिस्टर्ड खातेदार काश्तकार है। उक्त तनकी को वादी अपने पक्ष में साबित कराने में सफल रहा हैं उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

2. आया उक्त भूमि में वादी का मकान निर्मित कराया हुआ है जिसका वह उपयोग–उपभोग करता हुआ आ रहा है इसके अलावा आराजी चाह के उपयोग–उपभोग करने हेतु आने जाने का रास्ता बना हुआ है जिसका वह उपयोग–उपभोग कर रहा है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर रहा है। वादी द्वारा अपने समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य गवाह पीडब्ल्यू 1 स्वंय एवं पीडब्ल्यू 2 श्री अम्बालाल एवं दस्तावेजात से ऐसा कोई तथ्या पेश नहीं किया जिससे भूमि पर वादी सोहनलाल को मकान बना होने की बात साबित होती हो साक्ष्य प्रतिवादी डीडब्ल्यू 2 द्वारा अपनी जिरह में भूमि पर वादी का मकान नहीं होकर बाडा बना होने का कथन किया। जबकि वादी भूमि पर अपना मकान बता रहा है। वादी द्वारा मकान बाना होने बाबत् कोई ठोस सबूत पेश नहीं किये है। केवल जिरह में निर्माण किया जाने का कथन अंकित है। रास्ता का उपयोग सभी खातेदार द्वारा करना स्वीकार किया है। अतः उक्त तनकी आंशिक रूप से वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

3. आया वादी उक्त हिस्से का कब्जे अनुसार विधिवत बंटवाडा कराने का अधिकारी है।

उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादी पर रहा वादी द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य गवाह प्रस्तुत किये। प्रकरण में वादी द्वारा अपने नाम दर्ज भूमि आ.चा. कुआ का विभाजन करने की दाद चाही गई है। चूंकि कुए में उभय पक्षकारान सभी सह खातेदार है। अतः कुएं के पानी का उपयोग–उपभोग किया जा सकता है लेकिन कुएं का बंटवाडा किया जाना संभव नहीं है। अतः उक्त तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

4. आया प्रतिवादीगण मौके पर जबरन पत्थर व मिट्टी डालकर नष्ट कर रहे है। तथा आराजी चाह को नष्ट कर समतल बनाने पर उतारू है जिससे वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है।

उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादी पर रहा। प्रकरण में वादी व प्रतिवादी के बयान कलम बद्ध किये गये। लेकिन गवाहो एवं साक्ष्य से यह तथ्य कहीं पर भी सामने नहीं आया कि मौके पर खातेदार जबरन पत्थर व मिट्टी डालकर नष्ट कर रहे है। कुंए की भूमि

शामलाती होने से उसके उपयोग– उपभोग करने से किसी भी सहखातेदार को रोका नहीं जा सकता है। अतः उक्त तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

5. आया वादग्रस्त भूमि के उत्तर दिशा में पूर्व पश्चिम की ओर आने जाने का रास्ता है इस रास्ते से वैरागी साधुओं के वर्षो पुराने श्मशान बने हुए है वहां जाने के लिये प्रतिवादीगण इसी रास्ते का उपयोग उपभोग करते हुऐ आ रहे है साथ ही इसी कुए से देवस्थान की कृषि भूमि पश्चिम दिशा में स्थित है जिसके लिये भी इसी रास्ते का उपयोग–उपभोग किया जाता रहा है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण के जिम्में रहा प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब व तनकियात को साबित करने के लिये गवाह साक्ष्य शपथ पत्र डीडब्ल्यू 1 श्री टीला एवं डीडब्ल्यू 2 श्री भूरा पेश किया। प्रकरण में गवाह भूरा से हुई जिरह में उक्त तथ्यों को स्वीकार किया गया हैं एवं गवाहो द्वारा रास्ता होना एवं उसका उपयोग करने का कथन किया है जिसका वादी द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी अपने पक्ष में साबित कराने में सफल रहे है। उक्त तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

6. आया कुऐ का बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के सिद्धान्त के आधार पर नहीं किया जा सकता । दावा खारीज किये जाने योग्य है।

उक्त तनकीयात को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि पर सामलाती हिस्सा होने की बात स्वीकार की है जो दस्तावेज के आधार पर साबित है। वादग्रस्त भूमि चाह कुआ है एवं कुए पर सभी सह खातेदारान का हिस्सा है, कुए भी भूमि में कुए के पानी का उपयोग– उपभोग किया जा सकता है , कुए का भौतिक रूप से बंटवाडा किया जाना संभव नहीं है। उक्त तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

7. उपरौक्त तनकीवार विवेचन एवं दस्तावेजात के अध्ययन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वाद वर्णित भूमि जो आ.चा. हो कुआ है जिसमें उभय पक्षकारान सह खातेदार है। सह खातेदार के मध्य भूमि पर मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा किया जाने की प्रार्थना की गई है। चूंकि वादग्रस्त भूमि आ.चा. कुएं की भूमि है एवं कुएं की भूमि होने से सह खातेदार इसके पानी के उपयोग–उपभोग हेतु स्वतन्त्र है। एवं कुएं का भौतिक रूप से विभाजन किया जाना संभव नहीं है। उक्त तनकियात भी इस बाबत् निर्णित की जा चुकी हैं ऐसी स्थिति में कुंए का बंटवाडा नहीं किया जा सकता है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत बंटवाडे का वाद स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

— : : आदेश : : —

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हों। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(जितेन्द्र ओझा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

मूल वाद में डिक्री

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास जितेन्द्र ओझा, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री सोहनलाल पिता गणेशलाल खटीक निवासी घासा तह. मावली।

.....वादी

बनाम

1. श्री टीला पिता कुशाल डांगी निवासी घासा तह. मावली।
2. श्री पुना पिता कुशाल डांगी निवासी घासा तह. मावली।
3. श्रीमती वगती पुत्री कुशाल डांगी निवासी घासा तह. मावली।
4. श्रीमती फतु पुत्री कुशाल डांगी निवासी घासा तह. मावली।
5. श्रीमती बाबु पुत्री कुशाल डांगी निवासी घासा तह. मावली।
6. श्री खेमा पिता माना डांगी निवासी घासा तह. मावली।
7. श्रीमती प्रताबी पिता माना डांगी निवासी घासा तह. मावली।
8. श्रीमती नानी पिता माना डांगी निवासी घासा तह. मावली।
9. श्रीमती धापु पिता माना डांगी निवासी घासा तह. मावली।
10. भुरी पत्नी स्व. वगता डांगी निवासी घासा तह. मावली।
11. श्री बाबुलाल पिता स्व. वगता डांगी निवासी घासा तह. मावली।
12. श्री भुरा पिता स्व. दौला डांगी निवासी घासा तह. मावली।
13. श्री गणेश पिता रूपा डांगी निवासी घासा तह. मावली।
14. श्री हामा पिता रूपा डांगी निवासी घासा तह. मावली।
15. श्री गोविन्दा पिता रूपा डांगी निवासी घासा तह. मावली।
16. श्री रामदास पिता नन्दरामदास वैरागी निवासी घासा तह. मावली।
17. श्री बंशीदास पिता स्वं. नन्दरामदास वैरागी निवासी घासा तह. मावली।
18. श्री मांगीदास पिता स्वं. नन्दरामदास वैरागी निवासी घासा तह. मावली।
19. श्री तुलसीदास पिता स्व. हिरादास वैरागी निवासी घासा तह. मावली।
20. श्री श्यामदास पिता स्वं. भवंरदास वैरागी निवासी घासा तह. मावली।
21. श्री मांगीदास पिता स्वं. भंवरदास वैरागी निवासी घासा तह. मावली।
22. श्री एकलिंगदास पिता प्रेमदास वैरागी निवासी घासा तह. मावली।
23. श्री वेणीराम पिता प्रेमदास वैरागी निवासी घासा तह. मावली।
24. श्री उदयराम पिता स्वं. दौलतरामदास वैरागी निवासी घासा तह. मावली।
25. श्री जानीदास पिता स्व. दौलतरामदास वैरागी निवासी घासा तह. मावली।
26. श्री मांगीदास पिता स्व. नारायणदास वैरागी निवासी घासा तह. मावली।
27. श्री प्रेमदास पिता स्व. नारायणदास वैरागी निवासी घासा तह. मावली।
28. श्री बालुदास पिता रूगनाथदास वैरागी निवासी घासा तह. मावली।
29. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तहसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 01/08 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु जितेन्द्र ओझा R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है किः–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 31.10.2017 को जारी की गई।

(जितेन्द्र ओझा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली